मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश पर्यावरण नीति संकल्प

(संकल्प 2672बत्तीस दिनांक 9 जून 1982 द्वारा अंगीकृत की गई)

आवास एवं पर्यावरण विभाग

(पर्यावरण शाखा)

क्र. 2672-बत्तीस-82 भोपाल, दिनांक 9 जून 1982

संकल्प

इस संकल्प द्वारा राज्य संलग्न पर्यावरण नीति को अंगीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष कुमार शर्मा, सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पर्यावरण नीति संकल्प

जीवन का अस्तित्व, उसका पोषण एवं वृद्धि सभी पर्यावरण पर निर्भर करता है. पर्यावरण की उत्पत्ति भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं सामाजिक तंत्रों के बीच स्थापित जटिल एवं गतिशील संबंधों के कारण सम्भव होती हैं. इस तरह जीवन के गुणों का सीधा संबध पर्यावरण के गुण से होता है .

अपनी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य लगातार पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है. परन्तु प्रकृति के बिना किसी गिरावट के ऐसे परिवर्तनों की सुविधा देने की सीमित क्षमता है. बढती हुई जनसंख्या के दबाव एवं तकनीकी योग्यताओं के कारण ऐसे अवाँछनीय एवं, अपरिवर्त्य परिवर्तन होते रहते हैं जिससे प्रकृति की पुनरूत्पादन क्षमता नष्ट होती है तथा जीवन पोषक तत्व पूरी तरह प्रभावित होते हैं .

मनुष्य की उत्तरजीविता एवं कल्याण के लिए पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार अत्यन्त महत्वपूर्ण है. वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिये स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के भूमि, वायु एवं जल संसाधनो का धरोहर के रूप में विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है.

राज्य पर्यावरण नीति यह सुनिश्चित करे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्राकृतिक मनुष्य निर्मित एवं मानवीय संसाधनो का कारागर एवं न्यायोचित उपयोग हो और इस प्रक्रिया में पर्यावरण की संधारण क्षमता को नष्ट न किया जाय ताकि भविष्य में विकल्प उपलब्ध हो.

संकल्प

अतः राज्य सरकार इस संकल्प द्वारा पर्यावरण नीति को अंगीकृत करता हैं जिसके निम्नांकित उद्देश्य होंगे:—

(1) एक सुरक्षित, स्वस्थ रचनात्मक एवं सरुचिपूर्ण पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास:

(2) ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों के स्तर में सुधार, विकास एवं उनका प्रवंध ताकि जन साधारण के जीवन स्तर मे सुधार किया जा सके तथा उनके बीच में परस्पर समादर एवं सहयोग की क्रियाओं को मजबूत किया जा सके.

(3) विकास की योजना ठोस पारिस्थतिक के सिद्धातों पर आधारित हो जिससे इन योजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक आक्लन हो तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदमों को शामिल किया जावे.

(4) पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों के विकास, संसाधनी के पुनरूपयोग और कूड़े करकट के उपयोग को प्रोत्साहन.

(5) जीव-जन्तुओं की आंचलिक विभिन्नताओं, सँकटापन्न एवं संकट ग्रस्त जीव जन्तुओं के संरक्षण के लिये आरक्षित प्राकृतिक स्थली, अभयारण्यों एवं जीव संस्कृति हेतु आमोद केन्द्रों का निर्माण जिससे पहाड़ों जंगल, घास के मैदानों, नदियों, तालाबो, जल प्रपातों, रेत क्षेत्रों एवं आद्रक्षेत्रों आदि जैसे प्रमुख शरण स्थलों का संरक्षण संभव हो.

(6) पर्यावरण संबन्धी आदर्शों का विकास तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी को प्रभावकारी ढंग से एकत्र कर उनके सुनिरीक्षण एवं प्रचार प्रसार की पद्धतियों की स्थापना,

(7) सौन्दर्य स्थलों, ऐतिहासिक, एवं सांस्कृतिक, बिरासतों एवं उनके पर्यावरण का संरक्षण.

(8) पर्यावरणीय शिक्षा को हर स्तर पर बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जन जागरण एवं संवेदनशीलता पैदा करना.

(9) पर्यावरण एवं उससे संबन्धित बिज्ञान विषयों, तकनीकी क्षेत्रों तथा सामाजिक अनुसंधान क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देना ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके तथा उसके स्तर में सुधार लाया जा सके ।

(10) राज्य में आवश्यक संख्या में उच्च कोटि के पारिस्थतिक वेज्ञानिकों, पर्यावरण वैज्ञानिकों, योजनाकारों एवं प्रवन्धकों को विकसित करना तथा राज्य के विकास के प्रमुख अंग के रूप में इनके कार्यों को मान्यता देना.

(11) पर्याक्रण के समुचित, नियोजन संरक्षण एवं विकास के लिये प्रभावशाली कार्यवाही के महत्व को स्वीकार करते हुये राज्य शासन ने पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयसंगठन की स्थापना की है. यह संगठन समुचित पर्यावरण प्रवन्ध के लिए निर्देश देने के लिए शीघ्रता से प्रतिकृत होने वाला उत्तरदायी एवं स्वायत्त संगठन होगा. यह संगठन नई पद्धतियां स्थापित करेगा. राज्य की वर्तमान पर्यावरण स्थिति का अध्ययन करने के वाद यह संगठन पर्यापरण की संरक्षण व्यापक रणनीति करेगा, जिसमें पर्यावरण कार्यकलापों को प्राथमिकताएं निर्धारित की जा जाएगी. यह संकल्प किया जाता है कि इस संगठन को पर्याप्त धनराशि तथा आवश्यक अमला दिया जाएगा। इस संगठन का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि राज्य पर्यावरण नीति एवं पर्यावरण के संरक्षण की रणनीति के अनुरूप राज्य का विकास हो. तदनुसार उसे अधिकार भी दिए जायेगे पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा राज्य में पर्यावरण की स्थिति एवं प्रगति पर तैयार किया प्रतिवेदन प्रति वर्ष विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

MADHYA PRADESH STATE ENVIRONMENT POLICY RESOLUTION

Life owes its existence and obtains its sustenance, growth and fulfilment from the environment, which is the product of complex and dynamic interactions of physical, chemical, biological and social systems. The quality of life is linked with the quality of the environment

Man is continuously altering the environment to satisfy his needs and aspirations. Nature has, however, finite capacity to accommodate such changes without degradation. Pressures of growing population and technological capabilities often inflict undesirable and irreversible changes, outstripping nature's re-generative capacity. In many cases these have adversely affected life support systems.

Conservation and improvement of the environment are vital for the survival and well being of man. National Resources of land, air and water have to be used wisely as a trust, to ensure a healthy environment for the present and future generations.

The State Environment Policy must ensure effective and judicious utilization of resources—natural, man-made and human—to meet the needs of the population without undermining the carrying capacity of the environment or pre-empting future choices.

RESOLUTION

The Government of Madhya Pradesh, accordingly, resolve that the objectives of State Environment Policy shall be to :—

(1) Conserve and develop a safe, healthy. productive and aesthetically satisfying environment.

(2) Upgrade, develop and manage rural and urban settlements with a view to enhance the quality of life and to strengthen their mutual functional complementarity.

(3) Plan development on sound ecological principles with environmental impact assessments and incorporating appropriate environmental safeguards.

(4) Promote technologies of environmental safety, waste utilization and re-cycling of resources.

(5) Conserve regional biotic diversity and protect endangered and vulnerable species by creating natural reserves, sanctuaries and biocultural recreational centres for specific habitats such as mountains, forests, pastures, lakes, water falls, wetlands, rivers, dunes, etc.

(6) Evolve environmental norms and establish effective mechanisms for monitoring surveillance and collection and dissemiuation of information,

(7) Preserve scenic landscapes as well as historic and cultural monuments and their environs.

(8) Promote environmental education at all levels and create public awareness and sensitivity towards the environment.

(9) Encourage research in environmental science and in technologieal and social investigations to conserve and improve the environment.

(10) Develop adequate man-power within the State of ecologists, environmental scientists, planners and managers of the highest quality and recognize their work as an important component of the development of the State.

(11) Recognizing the importance of effective action for proper planning conservation and development of the environment, the Government of Madhya Pradesh has already established an Environmental Planning and Co-ordination Organization as a quick responsive independent and innovative organization for giving direction to proper euvironmental management. After studying the present status of the environment in the State, this Organization will prepare a State Conservation strategy which shall indicate priorities for environmental action. It is resolved that this Organization be equiped with adequate fund and qualified manpower and vested with the responsibility aud matching authority to ensure that development proceeds, in consonence with the State Environmental Pollcy and conservation strategy. A report on the status and management of the environment in the Statepre pared by the Environmental Planning and Co-ordination organization shall be presented every year to the State Vidhan Sabha.